फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

छोगसिंह वगैरह बनाम जोगसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा 225RTA मुकदमा नंबर 03 / सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
06/01/2020	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 83/2019 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर वकील अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नून तहसील व जिला जालोर के खसरा नंबर 2089 रकबा 0.0600 के संबध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना विधिसम्मत आदेश पारित किये केवल मात्र नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2089 रकबा 0.0600 हैक्टेर किस्म गै.मु. रास्ता अपीलांट के निजी हक खातेदारी में दर्ज है तथा उपरोक्त खसरा नंबर के खातेदार के रूप में अपीलांटगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पास खसरा नंबर 2089 के पश्चिमी दिशा से सार्वजनिक रास्ता होने के बावजूद अपीलांटगण की खातेदारी आराजी में दखलदांजी कर रहे है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में है। अत वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पांबद किया जावे। वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त जो अपील प्रस्तुत की गई है वह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने के आदेश के विरूद्ध की गई है जो कि कानूनन किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है। जिससे उक्त अपील चलने योग्य नहीं है। किन्तु वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रकरण के तथ्यो से अवगत करवाया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि अगर उभयपक्षो को वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो इससे निश्चय ही वाद बाहुल्यता बढेगी, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता है। अत हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। एवं प्रकरण की परिस्थितियो को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण से संबधित उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधिसम्मत आदेश पारित करे। तब तक उभयपक्ष हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नून तहसील व जिला जालोर के खसरा नंबर 2089	

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रकबा 0.0600 हैक्टेर पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली